K-476/2016/14-3 विषय: - २वा जि. १९७७ ५ । ५ - जी जगद्री का विभाग JAG SIE PE' DUHN CARRE -it 478 to 18/2/16 P-11C PED: Halog Cat 9 x 16: 2071/16 कुपमा विकाराकीर पत्र मा आवनार की तहा ग्रावीलक से प्राप्त पड़ में Treta Therath Agodo & marker किया गाया ही अकरव में अभारी अधिकारी निस्मित देख मोरि कोई अ gaeld see your the Baelles. ही क्रादेशाचे (**र्ज्यमा** पद्मी प्राथ में प्रभारी काबी नारी की किंग्रल करने के प्रमान 2100 BI BOL 52 M D. (Fut ats) (नेप्रस्त नियाला (विद्या)

476 2016 119-35 5 42/16 विषय: - २० के ११७७ राजी का विभाग छब्बीस-२ सचिवालय LE SEE A :- BICENT TE A कृपया अवर सचिव म.प्र. शासन, कृषि विभाग द्वारा प्राप्त नोटशीट कमांक-यू.ओ. नं0-32/2016/14-3 दिनांक 18.02.2016 द्वारा प्रकरण कमांक डब्ल्यू.पी.—19775/2015 श्री जगदीश प्रसाद गौड़ सचिव,ब,मंडी खुरई जिला सागर विरूद्ध म०प्रठ शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी नियुक्ति हेतु प्रस्ताव चाहा गया है,। जिसके लिए कार्यालयीन पत्र क्रमांक /बोर्ड /विघि/के-10 /सा0/.15/264 देनांक 23.2.2016 द्वारा प्रतिवादी कमांक एक की ओर से पक्ष समर्थन करने हेतु संयुक्त संचालक / उपसंचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, सागर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने हेत्. 3+1 रस्ताव एवं प्रभारी अधिकारी नियुक्ति आदेश प्रारूप नस्ती में संलग्न oर एकल नस्ती मूलतः प्रेषित है। कृपया उक्त प्रतिवादी की ओर से प्रतिरक्षण हेतु भी हाधिवक्ता कार्यालय को विधि विभाग से निर्देश जारी कराये जाने का निवेदन किया जाना उचित होगा। 2,3216. संयुक्त संचालक, अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग. मंडी बीड है प्रमाशासार सम्पत्न मिन रिनेश्वानी प्रादेश द्वानिक किला मार्थिय प्रादेश अन्मीद्राय Nit n mistry/GOV.no शाकेमुभो-369-उनिशाकेमुभो-22-9-19 US(5'D)2 503

8-5142/2016/14-3 विषय:- रहा है। १९७७ गरिए अप अर्पि प्राप्ति छब्बीस-२ सचिवालय रिष्टिक पर रकद् प्रति हत्ति विरोध S LAM IPSIFWAD उभित्र मिन्द्रार विम्हार करे EG JOHT ATO TO HIMA अंतिह किया गाना असमित दी जस्मी विद्या हिन्दु 399 any attentite to an to fe. P. की वि माउ। प्रतिस्थान कार्डेघ हेड नाती क्रिकी प्रमुख्यम्बर्व (विद्या) किसान कल्याण

विषय: मा- इ. 1 24 75 / 15 श्री लगदीक्रा समाद भींड वि. क्रासन सके अन्य।

छळ्यांस-२ सचिवालय

नास्ती पर रखनी है।

विकास कामा । विकास कामा कामा निर्देशकार्या । विकास कामा ।

SAXEBOIDGEDIT ODICO. GOVERNMENT ADVOCATE



MADHYA PRADESH

To.

D. O. No. ...

OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL MADHYA PRADESH, JABALPUR

JABALPUR

FAX

Cated

01/03/2016

The Principal Secretary Department of Farmer Welfare and Agriculture Development, Vallabh Bhawan, Bhopal, M.P.

Sub: - W.P. No. 19775/2015 - Jagdish Prasad Gaur V/S State of M.P. & others.

The aforesald petition has been filed by the petitioner Jagdish Prasad Gaur challenging order dated 9/10/2015, whereby the State Government has granted sanction for prosecution of petitioner. The sole contention, which is raised by the petitioner is that, he is not an employee of the State Government, but is the Member of State Mandi Service as per M.P. Krishi Upaj Mandi Adhiniyam. The matter was listed on 26/2/2016 and the Hon'ble Court was has granted 4 weeks time to file return.

Please appoint O.I.C., who is well conversant with the facts and circumstances of the case to contact the Office of Advocate General along with complete records for filing return in the matter within the time granted 1316 by the Hon'ble Court

(DEEPAK AWASTHI)

Copy to: The Joint Commissioner, Litigation, Jabaipur (M

जवावयवा अधिकत

ही सक्रांक क्रिया



FUE OF THE ADVOCATE GENERAL

25/01/2016

To,

MADEYA PER

The Principal Secretary

Department of Farmer Welfare and Agriculture

Development, Vallabh Bhawan, Bhopal, M.P.

Sub: - W.P. No. 19775/2015 - Jagdish Prasad Gaur V/S State of M.P. & others.

The aforesaid petition has been filed challenging order dated 9/10/2015, whereby the State Government has granted sanction for prosecution of petitioner. The sole contention, which is raised by the petitioner is that, he is not an employee of the State Government, but is the Member of State Mandi Service as per M.P. Krishi Upaj Mandi Adhiniyam. The Hon'ble Court was pleased to issue notice and directed the State Government to file return in the matter.

Kindly appoint some responsible officer as O.I.C., who is well conversant with the facts and circumstances of the case to contact the Office of Advocate General along with complete records of the proceedings, wherein sanction has been granted along with the explanation whether the contention of the petitioner regarding jurisdiction is proper or not.

15-211

Looking to the issue raised, it is expected that, the State Government will act promptly.

opy to:- The Joint Commissioner, Litigation, Jabalpur (M.P.)

25 (2.10) San

GOVERNMENT ADVOCATE

0.1116

मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, भोपाल

कमांक / री - र्जि स्टीश्व 6/14 है आदेश //

भोपाल दिनांक 4-3-16

सिविल प्रकिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्याक-5) आदेश सत्ताईस के नियम) तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए प्रकरण कमांक डब्ल्यू०पी०-19775 /2015(एस) जगदीश प्रसाद गौंडु सचिव-ब, मण्डी समिति खुरई जिला-सागर विरूद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य में संयुक्त संचालक / उपसंचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय, सागर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है, में मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने, आवेदन करने और उप संजात होने के लिए नियुक्त करते है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्योरे नीचे दिये गए हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा:-

1. प्रभारी अधिकारी तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जॉच करेगा जैसी की आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की मामले के संचालन में महाधिवक्ता / शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग

की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।

2. समस्त सुसंगत फाइले, दस्तावेज नियम, अधिसूचनाएँ तथा आदेश एकत्रित करेगा।

- 3. वाद पत्र/याचिका में उठाये गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये, जिनमें की शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- 4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा।
- 5 शासकीय अधिवक्ता के सहायता से लिखित कथन तैयार करवाएगा।
- शासकीय अधिवक्ता की सहायता।
- 7 प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-
 - (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
 - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना ———— प्रस्तावित है और जिनकी रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।

(घ) मामले के विरूद्धीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियाँ इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये।

8. मामले की तैयारी और संचालन करने की शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसे प्रकम और प्रगति के लिये किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।

9. जब भी कोई आदेश / निर्देश विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरूद्ध पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस का आवेदन करना।

10. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किए जाने के लिये इस विभाग को भेजना।

11. यह देखना है कि आवेदन करने में ताकि प्रमाणित प्रतियों प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सुचना देने में समय नष्ट नहीं हो।

12. जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाये।

13. प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बावत के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकाशित / छुपी हुई नहीं रह

जाये।

14. प्रभारी अधिकारी, नाम दिनांक अभियोजक मुकर्रर है तो वह, जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभी प्राप्त की

जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।

15. प्रभारी अधिकारी या अन्य यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद के प्रकरण में पारित किये गये किसी अंतिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जावे विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपना अनुशंसा के साध(सरकार) प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(अवर सचिव)

मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास

विभाग, मंत्रालय भोपाल विनांक 4-3-16

कमांक / इर जीयश्री १०१६/१५3

1. महाधिवक्ता / अतिरिक्त महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर।

- 2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
- 3. प्रबन्ध संचालक म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

4. संबंधित जिलाध्यक्ष, सागर मध्यप्रदेश।

> (अवर सचिव) मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल